प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

(माननीय श्री प्रितिंकर दिवाकर न्यायमूर्ति)

दांडिक अपील क्रमांक 922/1994

अपीलार्थी - डॉ. जसपाल जसवानी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी - मध्य प्रदेश राज्य.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री मनीष शर्मा , अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से

श्री प्रवीण दास, उप-महाधिवक्ता, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत आपराधिक अपील

निर्णय

(26.08.2010)

1. वर्तमान अपील विशेष प्रकरण क्रमांक 6/1988 में विशेष न्यायाधीश बस्तर जगदलपुर द्वारा दिनांक 04.08.1994 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5 (1) (डी) और 5 (2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे दो साल के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना

अदा न करने पर उसे तीन महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि प्रासंगिक समय पर अभियुक्त/अपीलार्थी महारानी (शासकीय) अस्पताल जगदलपुर में हड्डी रोग विभाग में सहायक सर्जन के रूप में कार्यरत था। आरोप लगाया गया है कि दिनांक 29.08.1986 को परिवादी टेकचंद (अ. सा.-3) ने कलेक्टर जगदलपुर के समक्ष आवेदन प्रदर्श.पी- 20 प्रस्तुत किया, जिसमें तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी उसके इलाज के लिए 150 रुपये की मांग कर रहा है, क्योंकि उसके बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि वे अभियुक्त/अपीलार्थी को रिश्वत नहीं देना चाहते थे और चाहते थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कलेक्टर द्वारा परिवाद उसी दिन लोकायुक्त कार्यालय, जगदलपुर के निरीक्षक (निगरानी) को भेज दी गई। उसी दिन डिप्टी कलेक्टर और अनुविभागीय दंडाधिकारी, जगदलपुर ने परिवादी की परिवाद का सत्यापन किया और इस बात पर अपनी सहमति दी कि परिवाद वास्तविक प्रतीत होती है। दिनांक 30.08.1986 को एक और परिवाद प्रदर्श.पी- 25, पुलिस अधीक्षक (निगरानी) को भेजी गई, जिसमें वही तथ्य बताए गए जो पिछली परिवाद में बताए गए थे। विश्राम भवन, जगदलपुर में पंच साक्षियों की उपस्थिति में ट्रैप-पूर्व पंचनामा तैयार किया गया और उसके बाद दिनांक 30.08.1986 को दोपहर 12.30 बजे अभियुक्त/अपीलार्थी के घर पर जाल लगाया गया। आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने परिवादी से रिश्वत के रूप में 150 रुपये प्राप्त किए थे। करंसी नोटों की ज़ब्ती प्रदर्श पी.-22 के तहत की गई और जिस शर्ट से करंसी नोट बरामद हुए थे, उसे भी प्रदर्श पी.-23 के तहत ज़ब्त किया गया और उसके बाद ट्रैप के बाद पंचनामा प्रदर्श पी.-24 तैयार किया गया। फिनोलफथेलिन परीक्षण कराया गया और यह सकारात्मक पाया गया। इसके बाद देहाती नालिशी प्र.पी.-28 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5(1)(डी) और 5(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 161

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के तहत अपराध के लिए बरामद किया गया और इसी के आधार पर प्रदर्श पी.-29 दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष को फोरेंसिक विज्ञान परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.-32 प्राप्त हुई। अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदर्श पी.-15 के तहत दिनांक 09.12.1987 को प्राप्त हुई। अन्वेषण के बाद, दिनांक 26.04.1988 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.11.1989 को आरोप विरचित किए।

3. अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा मामले के समर्थन में 17 साक्षियों से परीक्षण कराया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत भी दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और मामले में झूठे फसाये जाने एवं निर्दोष होने का अभिवाक किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षों की सुनवाई के बाद, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को ऊपर बताए अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि संबंधित समय में अभियुक्त/अपीलार्थी पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के महारानी अस्पताल, जगदलपुर में सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर कार्यरत था और निजी प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र था क्योंकि वह नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता नहीं ले रहा था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि एक बार अभियुक्त/अपीलार्थी को अपना अभ्यास करने का अधिकार था तो उसका मरीज से शुल्क लेना पूरी तरह से उचित था। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में भी परिवादी टेकचंद दिनांक 26.08.1986 की रात में उनके पास आया था और अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे प्राथमिक उपचार प्रदान किया था। इसके बाद दिनांक 28.08.1986 को परिवादी फिर से अपने इलाज के लिए अपीलार्थी के पास आया और उस समय मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे एक्स-रे के लिए रेफर किया गया जो महारानी

अस्पताल, जगदलपुर में किया गया जिसके लिए परिवादी ने 10 रुपये का निर्धारित शुल्क जमा किया था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 30.08.1986 को परिवादी फिर से अस्पताल में अभियुक्त/अपीलार्थी के पास आया और उसके निवास पर उसका इलाज करने का अनुरोध किया। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि ये सभी तथ्य परिवादी और उनके पिता दौलत राम (अ.सा.-4) द्वारा स्वीकार किए गए हैं। परिवादी ने अपने न्यायालयीन बयान में यह भी कहा है कि वह अपीलार्थी के निवास पर एक निजी रोगी के रूप में अपना इलाज करवाना चाहता था जिसके लिए वह 400 रुपये देने को भी तैयार था। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि अभियुक्त/अपीलार्थी को अपना निजी अभ्यास करने का अधिकार नहीं था और यह तथ्य महारानी अस्पताल, जगदलपुर के तत्कालीन निवासी चिकित्सा अधिकारी डॉ. जे. पी. शुक्ला (अ. सा.-15) और जांच अधिकारी एम. सी. शर्मा (अ.सा.-17) द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि जाल साक्षी जी पी श्रीवास्तव (अ. सा.-16) डिप्टी कलेक्टर ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि परिवादी ने जाल पक्ष को बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उनसे अपने आवास पर निजी उपचार प्राप्त करने के लिए 150 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि शासकीय चिकित्सक, जो अपनी निजी प्रैक्टिस कर रहे थे, मरीज को शासकीय अस्पताल में एक्स-रे कराने के लिए नहीं भेज सकते थे। इसके विपरीत, साक्ष्य हैं कि अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके, शासकीय अस्पताल में एक्स-रे किया जा सकता था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा परिवादी को निजी उपचार प्रदान करने के लिए 150 रुपये का शुल्क लेना उचित था। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि चिकित्सक की निजी प्रैक्टिस पर तथाकथित प्रतिबंध के संबंध में एकमात्र दस्तावेज प्रदर्श पी.-33 है, लेकिन अगर इस दस्तावेज पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के निजी प्रैक्टिस करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि इस दस्तावेज के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनुसार, संचालक, संयुक्त संचालक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी, बीसीजी, पोलियो, कुष्ठ रोग और अंधेपन की रोकथाम के संबंध में काम करने वाले सर्जनों को इस शर्त के अधीन निजी प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित किया गया था कि वे गैर-प्रैक्टिस भत्ते का दावा कर रहे थे। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि संबंधित समय में अभियुक्त/अपीलार्थी सहायक सर्जन के रूप में काम कर रहा था और उसके निजी प्रैक्टिस करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था क्योंकि वह गैर-प्रैक्टिस भत्ता नहीं ले रहा था और इसलिए, परिवादी के अपने घर पर उसका इलाज करने के लिए उससे पैसे मांगना पूरी तरह से उचित था और वह भी परिवादी के स्वयं के अनुरोध पर। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के **डॉ. के.एल. आनंद बनाम राज्य 1956 इलाहाबाद 673 (एआईआर वी 43 सी 221 नवंबर)** के मामले में पारित निर्णय और गुजरात उच्च न्यायालय के **रविशंकर केशवजी दवे बनाम गुजरात राज्य 1966 क्रि.एल.जे. 1429 (वॉल्यूम 72, सी.एन. 422)** के मामले में पारित निर्णय का अवलम्ब लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, उत्तरवादी/राज्य के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि एक लोक सेवक होने के नाते अपीलार्थी को मरीजों से पैसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही उनका इलाज अस्पताल में या संबंधित चिकित्सक के घर पर हुआ हो। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि निजी इलाज की आड़ में शासकीय चिकित्सक शासकीय बुनियादी ढांचे और उपकरणों का इस्तेमाल करके मरीजों से अवैध रूप से अत्यधिक रकम वसूलते हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता जा सकता कि वे मरीजों से कोई भी रकम लेने के हकदार हैं। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में भी अपीलार्थी ने मरीज का इलाज शासकीय अस्पताल में शासकीय एक्स-रे मशीन से किया था और इसलिए 150 रुपये फीस लेने का उनका औचित्य कानून की नजर में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि जालसाजी करने वाले पक्ष से संबंधित सभी साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और जालसाजी सभी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध हो चुकी है।

7. राज्य के अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए, अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त उप संचालक और मुख्य चिकित्सा-सह-अस्पताल अधीक्षक के दो पत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिनमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि चूँकि अपीलार्थी संबंधित तिथि को गैर-अभ्यास भत्ता नहीं ले रहा था, इसलिए वह अपनी निजी प्रैक्टिस करने का हकदार था। उनका तर्क है कि चूँकि ये दोनों पत्र सार्वजनिक दस्तावेज हैं, इसलिए न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इनका संज्ञान ले सकता है।

8. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. परिवादी (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन बयान में तर्क प्रस्तुत किया है कि दिनांक 26.08.1986 को उसके दाहिने हाथ में चोट लगी थी और इसलिए रात के लगभग 2.30-3.00 बजे वह अभियुक्त/अपीलार्थी के पास महारानी अस्पताल गया था जहाँ उसे पता चला कि अपीलार्थी अपने निवास पर है और फिर वह उसके निवास पर गया और वहाँ उसे कुछ दवाइयाँ देकर और उसकी चोट पर पट्टी बाँधकर आंशिक रूप से इलाज किया गया। दिनांक 28.08.1986 को परिवादी लगभग 4.30 बजे फिर से अस्पताल गया और अपीलार्थी ने उसे एक्स-रे कराने की सलाह दी और उसे डॉ. चिखलिकर के पास जाने के लिए कहा। इस पर, परिवादी ने उनसे अनुरोध किया कि उसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए उक्त अस्पताल में ही एक्स-रे कराया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा रेफर किए जाने पर, 10 रुपये का आवश्यक शुल्क जमा करने के बाद शासकीय अस्पताल में ही एक्स-रे किया गया। एक्स-रे देखने के बाद अपीलार्थी ने उसे बताया कि उसकी हड्डी टूट गई है, जिसके लिए उसे 400 रुपये देने होंगे, जिस पर परिवादी ने कहा कि वह उक्त राशि का प्रबंध कर देगा। परिवादी ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि वह और उसके पिता

अभियुक्त/अपीलार्थी से परेशान थे क्योंकि वह उनके ही समुदाय का होने के बावजूद उनसे बहुत ज्यादा फीस वसूल रहा था और गुस्से के कारण उन्होंने अपीलार्थी को सबक सिखाने का फैसला किया और सीधे कलेक्टर के कार्यालय गए और फिर उनके द्वारा दिनांक 30.08.1986 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद, कलेक्टर ने उन्हें लिखित में परिवाद देने के लिए कहा और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जाल बिछाया गया। इसके बाद, परिवादी अस्पताल गया और अपीलार्थी से अपने आवास पर उसका इलाज करने के लिए कहा। ड्यूटी घंटों के बाद, अपीलार्थी उसके आवास पर आया, परिवादी की चोट पर पट्टी बांधी और उससे शुल्क के रूप में 150 रुपये प्राप्त किए। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि शुरू में अपीलार्थी अपने आवास पर इलाज प्रदान करने के लिए 400 रुपये मांग रहा था लेकिन अंततः दोनों 150 रुपये पर सहमत हो गए थे। परिवादी के पिता दौलत राम (अ. सा.-4) ने न्यायालय में दिए अपने बयान में कहा है कि जब उनके बेटे को चोट लगी, तो वे उसे सुबह लगभग 3-4 बजे अभियुक्त/अपीलार्थी के घर ले गए थे, लेकिन उस समय वह सो रहा था। इस साक्षी ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि उनके बेटे को देखने के बाद अभियुक्त/अपीलार्थी को फ्रैक्चर का संदेह हुआ और इसलिए कुछ दवाइयाँ देने के बाद, उन्होंने अगले दिन उन्हें फिर बुलाया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों के लिए उन्हें 30 रुपये दिए गए थे। उन्होंने बताया कि तीसरे दिन उनका बेटा अस्पताल गया और वहाँ से वापस आने पर उसने बताया कि डॉक्टर ने उसे एक्स-रे कराने की सलाह दी है और 400 रुपये की माँग की है। जब उसने इतनी राशि देने में असमर्थता जताई, तो डॉक्टर ने उसके घर पर ही केवल 150 रुपये में उसका इलाज करने की बात कही। इस साक्षी के अनुसार, अपीलार्थी को पैसे देने के बजाय, वह सीधे कलेक्टर के पास गया और उन्होंने कहा है कि पट्टी लगाने के लिए अभियुक्त/अपीलार्थी 150 रुपये की माँग कर रहा है, जो उसकी क्षमता से बाहर है। इसके बाद कलेक्टर के कहने पर वह पुलिस अधीक्षक के निवास पर गए जहां कलेक्टर भी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा तथ्यों का प्रकटीकरण के बाद, अभियुक्त/अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की गई। इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से तर्क प्रस्तुत किया है कि वह और उसका बेटा अपने व्यवसाय में व्यस्त होने के कारण लंबे समय तक दुकान से बाहर नहीं निकल सकते थे और शासकीय अस्पताल में भीड़ को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने और उनके बेटे ने अपीलार्थी के निवास पर ही इलाज कराने का फैसला किया। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई 400 रुपये की राशि बहुत अधिक प्रतीत होती है और वह भी तब जब अपीलार्थी अपने ही समुदाय से होने के बावजूद उनसे यह अत्यधिक मांग कर रहा था, वह दूसरों से भी बहुत अधिक शुल्क ले रहा होगा। इसके बाद वह फिर से अभियुक्त/अपीलार्थी के पास गया और शुल्क 150 रुपये पर तय हुआ। हालांकि, क्योंकि यह राशि भी अधिक थी, उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया 400 रुपये मांगने पर उन्होंने बताया कि यह उनकी फीस है। डॉ नरेंद्र सिंह ठाकुर (अ. सा.-1) रेडियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने परिवादी का एक्स-रे लिया था और अपीलार्थी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। महंतराम चक्रवर्ती (अ.सा.-5) रेडियोलॉजिस्ट हैं जिनसे एक्स-रे, रजिस्टर और मांगपत्र जब्त किया गया था। प्रवींद्र दास (अ.सा.-6) रेडियोग्राफर जो अस्पताल में काम कर रहे थे और जिन्होंने परिवादी का एक्स-रे लिया था। केदारनाथ (अ.सा.-7) उक्त अस्पताल के हेड क्लर्क हैं जिन्होंने पुलिस को कुछ दस्तावेज सौंपे थे। भिखारी राम (अ. सा.-8) अस्पताल में चपरासी है। बी. एस. पदमवार (अ. सा.-9) राजस्व निरीक्षक हैं जिन्होंने अपराध स्थल का नक्शा प्रदर्श. पी-12 तैयार किया था। जॉन वर्गीस (अ.सा.-10) लोकायुक्त पुलिस के कांस्टेबल ने जाल से पहले और बाद का पंचनामा के लिए सभी तैयारियां की थीं। जय सिंह मंडावी (अ.सा.-11) वार्ड बॉय, जिसके पास से पुलिस ने रजिस्टर प्रदर्श. पी-13 जब्त किया था। कृष्ण कुमार वर्मा (अ.सा.-12) ने एक्स-रे के कवर पर प्रविष्टि की थी। लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग में कार्यरत एस. कुमार राठौर (अ.सा.-13) ने प्रदर्श. पी-15 के दस्तावेज़ को प्रमाणित किया है। पुलिस उप-निरीक्षक जे. एन. शर्मा (अ.सा.-14) ट्रैप दल के सदस्य थे और उन्होंने अन्वेषण में भाग लिया था। महारानी अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉ. जे. पी. शुक्ला (अ.सा.-15) ने अपनी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रति परीक्षा के पैराग्राफ-4 में तर्क प्रस्तुत किया है कि जहाँ तक उनकी जानकारी है, अभियुक्त/अपीलार्थी के निजी प्रैक्टिस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। डिप्टी कलेक्टर और ट्रैप साक्षी जी. पी. श्रीवास्तव (अ.सा.-16) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। हालाँकि, इस साक्षी ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि परिवादी ने उसे बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी को उसके आवास पर इलाज कराने के लिए 150 रुपये देने होंगे। एम. सी. शर्मा (अ.सा.-17) अन्वेषण अधिकारी हैं जिन्होंने मामले में अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया है।

10. संपूर्ण साक्ष्य पर बारीकी से विचार करने पर, अभिलेख से यह बात सामने आती है कि ट्रैप की तिथि पर अभियुक्त/अपीलार्थी ने परिवादी से 150 रुपये लिए थे, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार रिश्वत की राशि है लेकिन अभियुक्त/अपीलार्थी के अनुसार उक्त राशि उसे परिवादी का उसके आवास पर इलाज करने के शुल्क के रूप में दी गई थी। परिवादी और उसके पिता दौलतराम (अ.सा.-4) की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने ही अभियुक्त/अपीलार्थी से उसके आवास पर निजी उपचार कराने का निर्णय लिया था और यह केवल शासकीय अस्पताल में भीड़ से बचने और अपना समय बचाने के लिए किया गया था और तदनुसार उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी के आवास पर निजी उपचार कराया। दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी को अपनी निजी प्रैक्टिस करने का अधिकार था और कम से कम उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जे. पी. शुक्ला (अ.सा.-15) ने अपने कथन के पैराग्राफ संख्या 12 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी पर निजी प्रैक्टिस करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था और इस तथ्य को अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.-17) ने भी स्वीकार किया है। अभिलेखों में ऐसा कोई विपरीत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि अभियुक्त/अपीलार्थी निजी प्रैक्टिस करने और गैर-प्रैक्टिस भत्ता पाने का हकदार नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियुक्त/अपीलार्थी, महारानी (शासकीय) अस्पताल, जगदलपुर में लोक सेवक होते हुए परिवादी से उसका इलाज करने के लिए अवैध परितोष के रूप में 150 रुपये की मांग की और स्वीकार किया, लेकिन अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने की स्थिति में नहीं है कि उसने ऐसा किसी आधिकारिक कार्य को करने या न करने या अपने आधिकारिक कार्य के प्रयोग में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या अरुचि दिखाने या दिखाने से परहेज करने के लिए एक उद्देश्य या प्रतिफल के रूप में किया। जब अभियुक्त को प्राइवेट प्रैक्टिस का अधिकार दिया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने परिवादी से 150 रुपये की राशि स्वीकार की, क्योंकि यह उसके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 की आवश्यकता के अनुसार, धारा 5 की उपधारा (1) में सूचीबद्ध प्रत्येक कदाचार उपधारा (2) के तहत दंडनीय नहीं है। एक कदाचार, जो उपधारा (2) के तहत दंडनीय है, एक लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में एक कदाचार है। वर्तमान मामले में जब अभियुक्त/अपीलार्थी एक निजी चिकित्सक के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए एक लोक सेवक के रूप में कार्य नहीं कर रहा था, तो उसे एक लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में कदाचार करने वाला नहीं माना जा सकता है और न ही यह माना जा सकता है कि उसने भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके कोई आर्थिक लाभ प्राप्त किया है। इसी तरह, जैसा कि परिवादी और उसके पिता दौलतराम (अ. सा.-4) ने स्पष्ट रूप से तर्क प्रस्तुत किया है कि शासकीय अस्पताल में जाने के लिए उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अपने निवास पर निजी उपचार कराने का निर्णय लिया था और जिसके लिए वे 400 रुपये भी दे सकते थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा मांगी गई और स्वीकार की गई राशि कानूनी पारिश्रमिक के अलावा थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. इस प्रकार, मामले के उपरोक्त तथ्यात्मक और विधिक स्वरूप के आलोक में, इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण विवरणों पर साक्षियों के साक्ष्य को नज़रअंदाज़ किया है और ऐसी स्थिति में, अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराने और दण्डित करने संबंधी उसके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष आधारहीन हैं और उन्हें खारिज किये जाने योग्य है। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। चूँकि वह पहले से ही जमानत पर है, इसलिए उसके बन्ध पत्र उन्मोचित किए जाए। यदि अपीलकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जुर्माना राशि जमा कर दी गई है तो उसे वापस कर दी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

(प्रितिंकर दिवाकर)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)